PBR/निगरानी/धार/भू-रा/2017/2376

(120)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर, जिला धार
RM
05 JUL 2017
अधीक्षक कलेक्टर

बद्रीलाल फौत वारीसान :–

1. धनीबाई बेवा बद्रीलाल जाति भील
2. पकंज पिता बद्रीलाल जाति भील
3. मनोज पिता ब्रदीलाल जाति भील
4. अनिता पिता ब्रदीलाल जाति भील

सभी निवासी ग्राम नजीकबरोदा तह. व जिला धार

..........................निगरानीकर्ता

बनाम

1. पार्वतीबाई पिता नंदराम जाति भील

   निवासी ग्राम नजीकबरोदा तह. व जिला धार

   हाल मुकाम रलोडबर रोड रतलाम जिला रतलाम
2. दरियाव पिता भेरा जाति भील
3. रामचंद्र पिता जगन्नाथ जाति भील
4. बाबूसिंह पिता जगन्नाथ जाति भील
5. कृष्णा पिता जगन्नाथ जाति भील
6. विष्णु पिता जगन्नाथ जाति भील
7. जसरथसिंह पिता जगन्नाथ जाति भील
8. गंगाबाई बेवा जगन्नाथ जाति भील
9. चंपालाल पिता भेरा जाति भील फौत वारीसान

   अ– रामीबाई बेवा चंपालाल जाति भील

   ब– कैलाश पिता चंपालाल जाति भील

   स– गुलाब पिता चंपालाल जाति भील

डाक से प्राप्त
25.7.17

सभी निवासी ग्राम नजीकबरोदा तह. व जिला धार

..........................विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूरास. 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 86/2014--15/अ--27 में स्व. नंदराम पिता भेरा ने अपनी संपूर्ण जायदाद के संबंध में विधिवत वसीयत दिनांक 19.07.1995 को स्वयं ने गवाहो के समक्ष माहिती देकर उनकी मोजुदगी में एक वसीयतनामा स्व. बद्रीलाल के हित में लिखकर जाप्ते से रजिस्टर्ड है जो स्व. नंदराम की हयाती में कायम रहा है नंदराम अपनी हयाती में दिनांक 19.07.1995 को तय किया कि उनका वारीस व उनकी संपत्ति का हकदार कौन होगा व संपूर्ण जायदाद का खुलासा कर दिया जो क्रमशः भूमि सर्वे नंबर 4/3 व 5/1 है जो ग्राम नजीकबरोदा तहसील व जिला धार की है जिसका सपूर्ण रकबा 4.180 हैक्टर है चतुर्सीमा व अन्य संपत्ति का उल्लेख है मकान जायदाद सम्मिलित है बद्रीलाल के हित में जो हमारे वडिल है। स्वयं नंदराम की मृत्यु दिनांक तक वसीयत कायम है ऐसी दशा में पार्वतीबाई को कोई हक नही है उसे विभाजन कराने का हक नही है अगर कोई आज्ञा है तो वह व्यर्थ है हमने सारी बाते सामने रखकर उक्त वसीयत जो जाप्ते से रजिस्टर्ड है जिसे शंका की कोई गुंजाईश नही है मात्र देरी से कोई अंतर होता नही है विधि स्पष्ट है आज हमने प्रपत्र पेश किया है उसकी सत्यता व असत्यता की जांच होगी बयान होगे। आज अंतिम स्वरूप का विनिश्चय नायब तहसीलदार सागौर ने किया है वह विधिक नही है परवर्स है हमारी अर्जी दिनांक [redacted] 28.07.16 की स्वीकार करना थी प्रपत्र विचार में लेना थे मुझे प्रमाण का मौका देना था मेरे द्वारा जो तर्क रखे मात्र उसे विलंब का आधार देकर अमान्य कर दिया जो विधिक नही है वाजिब नही है परवर्स है। दस्तावेज रजिस्टर्ड है उस पर धारा 60 रजिस्ट्रेशन एक्ट मुजब नही है क्योकि रजिस्टर्ड दस्तावेज में कयास मेरे पक्ष में है। यह सब बातो पर विचार न कर मेरा प्रपत्र व उस पर विचार करने से इंकार कर दिया अतः आज्ञा अवैध है जिसे अपास्ति बाबद यह निगरानी पेश है मियाद की कोई त्रुटि है तो क्षमा बाबद अलग से अर्जी दी है निगरानी में प्रकरण लिया जाकर दिनांक 24.11.2016 का अपास्त बाबद यह निगरानी निम्न आधारो पर कानून सम्मत सादर सदभावनापूर्वक पेश है :--

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2017/2376 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–8–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि बटवारे के प्रकरण में वसीयतकर्ता की मृत्यु को लगभग 12 वर्ष पश्चात् वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है जिस पर विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है । तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है क्योंकि तहसीलदार के समक्ष बटवारे का प्रकरण प्रचलित है और बटवारे के प्रकरण में स्वत्व का निराकरण नहीं किया जा सकता है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	